प्रवेश दिनांक : / /202

प्रवेश आवेदन फॉर्म

प्रवेशांक :

विद्यालय का नाम :

Name of student :

विद्यार्थी का नाम :

जन्म तिथि अंकों में : / /20

जन्म तिथि शब्दों में :

Father / guardian name :

पिता / संरक्षक का नाम :

Mother / guardian name :

माता / संरक्षक का नाम :

वर्ग - Gen / SC / ST / OBC / SBC / MBC :

विद्यार्थी की नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाएं

ह. विद्यार्थी

लिंग - M / F / O / : | धर्म : | जाति :

कक्षा व वर्ग जिसमें प्रवेश चाहिए - | कक्षा : | वर्ग :

प्रवेश का प्रकार – नव प्रवेश / पुनः प्रवेश / स्थानांतरण :

संकाय (कक्षा 11 / 12 के लिए) – कला / वाणिज्य / विज्ञान :

वैकल्पिक विषय : | 1. | 2. | 3.

तृतीय भाषा (कक्षा 6 से 10) : | वोकेशनल ट्रेड (9वीं / 10वीं) :

पूर्व विद्यालय का नाम (यदि लागू हो) :

पूर्व विद्यालय का SR. नंबर : | शाला दर्शन / दर्पण / PSP कोड :

पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा : | परिणाम :

विद्यार्थी विद्यालय में कार्यरत कार्मिक की संतान है – हाँ / नहीं : | विद्यार्थी हॉस्टल में रहता है – हाँ / नहीं :

B.P.L. स्थिति – नहीं / राज्य B.P.L. / केंद्र B.P.L. :

यदि हाँ तो B.P.L. प्रमाण पत्र का क्रमांक : | दिनांक : / /

विद्यार्थी का आधार क्रमांक : | अथवा नामांकन सूचना भरें -

नामांकन क्रमांक : | / / | दिनांक : / / | समय - : :

जनाधार ID / पंजीयन संख्या : | राशन कार्ड संख्या :

विद्यार्थी की व्यक्तिगत जनाधार संख्या :

विद्यार्थी की बैंक खाता संख्या : | शाखा : | IFSC :

CWSN हाँ / नहीं :
प्रकार : | दृष्टि बाधित / अल्प दृष्टि / मूक-बधिर / अस्थि विकलांग / स्वलीन (ऑटिज्म) / सेरेब्रल पाल्सी /मानसिक विमंद / मानसिक रुग्ण / बहु नि:शक्त / अधिगम अक्षमता / अन्य

मूल निवास का राज्य : | राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है :

विद्यार्थी का वजन : kg | लंबाई : सेमी | ब्लड ग्रुप :

सह शैक्षणिक गतिविधियां – कोई नहीं / NCC / स्काउट-गाइड / कब / बुलबुल :

खेल में प्रमाण पत्र – जिला / राज्य / राष्ट्रीय स्तर :

पूर्ण पता :

जिला : | राज्य : | पिन कोड :

घर से विद्यालय की दूरी : km | क्या विद्यार्थी एकल कन्या है – हाँ / नहीं :

मोबाइल नंबर : | 1. | 2. | 3.

संपर्क हेतु ई-मेल ID :

परिवार के संबंध में अन्य जानकारियाँ :

क्र.सं.	संबंध	आधार संख्या	योग्यता	व्यवसाय	PAN संख्या	वार्षिक आय	आयकर दाता
1.	पिता						
2.	माता						
3.	संरक्षक						

यदि विद्यार्थी के सगे भाई-बहिन इसी विद्यालय में अध्ययनरत हैं तो -

क्र.सं.	प्रवेशांक	कक्षा व वर्ग	भाई / बहिन का नाम	संबंध	
				भाई / बहिन	छोटा / बड़ा
1.					
2.					
3.					

घोषणा एवं शपथ पत्र

मैं ....जाति...................................निवासी..आयु......................
घोषणा करता / करती हूँ कि इस प्रवेश फॉर्म में भरी गयी समस्त सूचनाएं सही हैं | मैं यह विश्वास दिलाता / दिलाती हूँ कि उक्त विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय आयेगा / आयेगी तथा विद्यालय के समस्त नियमों एवं निर्देशों का पालन करेगा / करेगी | मैं अपने पुत्र / पुत्री / संरक्षित ....जन्म तिथि / / जिसे कक्षा .... में प्रवेश दिलाना है; का विवाह बालिग़ होने से पूर्व नहीं करूँगा / करूंगी तथा बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 की पालना करते हुए इन सबके लिए प्रतिबद्ध रहूंगा / रहूंगी |

दिनांक : / /

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता (माता / पिता / संरक्षक)

आय प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... छात्र / छात्रा
.... के माता / पिता / संरक्षक हैं तथा इनकी कुल
वार्षिक आय .... रुपये हैं तथा ये आयकर देते / नहीं देते हैं |

हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अधिकारी
(मय पद मोहर)

दिनांक : / /

आय प्रमाण पत्र (राजकीय कर्मचारियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... छात्र / छात्रा
.... के माता / पिता / संरक्षक हैं, जो मेरे अधीन
.... पद पर कार्यरत हैं तथा इनकी कुल वार्षिक आय
.... रुपये हैं तथा ये आयकर देते / नहीं देते हैं |

हस्ताक्षर विभागीय अधिकारी
(मय पद मोहर)

दिनांक : / /

कार्यालय उपयोग हेतु

प्रवेश दिनांक : / /　　　　प्रवेशांक :

राजकीय कोष शुल्क :	रसीद संख्या :	बुक संख्या :	दिनांक : / /
छात्र कोष शुल्क :	रसीद संख्या :	बुक संख्या :	दिनांक : / /
विकास शुल्क :	रसीद संख्या :	बुक संख्या :	दिनांक : / /

हस्ताक्षर जांचकर्त्ता　　　　हस्ताक्षर कक्षाध्यापक　　　　हस्ताक्षर शुल्क प्राप्तकर्त्ता

संस्था प्रधान का अभिमत

छात्र / छात्रा .... कक्षा .... में प्रवेश के लिए
विषयाध्यापकों द्वारा ली गयी आधार रेखा / परीक्षा के आधार पर योग्य / अयोग्य पाया गया / पायी गयी है तथा इसे कक्षा .... में प्रवेश के लिए स्वीकृति / अस्वीकृति प्रदान की जाती है|

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
(मय पद मोहर)

दिनांक : / /

आवेदन प्रमाण पत्र के साथ संलग्नक

☐	जाति प्रमाण पत्र	☐	जन्म प्रमाण पत्र	☐	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
☐	पूर्व कक्षा की अंकतालिका	☐	आधार कार्ड	☐	जनाधार कार्ड
☐	CWSN प्रमाण पत्र	☐	BPL प्रमाण पत्र	☐	राशन कार्ड
☐	आय प्रमाण पत्र	☐	RTE हेतु स्वघोषणा शपथ पत्र	☐	अन्य :

RTE हेतु स्व घोषणा-पत्र / शपथ पत्र

मैं .... (नाम) पिता का नाम ....
जाति .... निवासी .... मेरे
पुत्र / पुत्री / संबंधी .... (नाम विद्यार्थी) को कक्षा .... में
प्रवेश दिलाना चाहता / चाहती हूँ। जिसके संबंध में घोषणा करता / करती हूँ कि :-

1. विद्यार्थी ने अब तक घर पर ही अध्ययन किया है तथा मैं विद्यार्थी को RTE के नियमानुसार प्रवेश दिलवाना चाहता / चाहती हूँ।
2. विद्यार्थी की जन्मतिथि / /20 (शब्दों में) .... है। जो कि पूर्णतया सही है तथा इसमें परिवर्तन के लिए कभी भी आवेदन नहीं करूँगा / करूंगी।
3. मैं विद्यालय में आयोजित SDMC / SMC / PTA की बैठकों में नियमित रूप से भाग लुंगा / लुंगी तथा विद्यार्थी की समस्त गतिविधियों से विद्यालय को अवगत करवाता रहूँगा / करवाती रहूँगी।

दिनांक : / /

हस्ताक्षर अभिभावक

आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा प्राप्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र में निम्नांकित विद्यार्थी ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर ली है। विद्यार्थी के अभिभावक के अनुरोध पर विद्यालय में प्रवेश बाबत शिक्षार्थी का नाम आंगनबाड़ी केंद्र से पृथक् कर दिया गया है। उपरोक्त विद्यार्थी का विवरण निम्नानुसार हैं →

नाम	
पिता का नाम	
माता का नाम	
जन्मतिथि	
आंगनबाड़ी रजिस्टर क्रमांक	

हस्ताक्षर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

प्रमाण पत्र क्रमांक : __________

कक्षा __ में इस वर्ष प्रवेश योग्य विद्यार्थी के लिए

अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ______________________________
पुत्र/पुत्री : __________________________को दिनांक ______________________ को
____________________________________ विद्यालय ________ ब्लॉक ______________________
एन.आई.सी. कोड में अस्थायी रूप से प्रवेश दिया गया है।

विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दिनांक ______________________ तक विद्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। प्रवेश की अंतिम पुष्टि, आवश्यक दस्तावेज़ों के सत्यापन तथा सभी निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ति के पश्चात ही की जाएगी। यह प्रमाण पत्र केवल अस्थायी प्रवेश के उद्देश्य से जारी किया गया है।

नाम: सर्वे करता शिक्षक

हस्ताक्षर - सर्वे करता शिक्षक

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय का पता–कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, लालगढ़, बीकानेर
दूरभाषः–0151 2220140 ई–मेलः–ddrtebknr@gmail.com

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18878/आरटीई दिशा निर्देश/2023–24/ दिनांक–

जिला शिक्षा अधिकारी(मु.)
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
समस्त।

विषयः– शैक्षिक सत्र 2025–26 में एन्ट्री कक्षा/प्रथम कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण तिथि के संबंध में।

प्रसंगः– शासन का पत्र क्रमांक प.8(01)शिक्षा–5/आरटीई/2025(Rajkaj–26368) दिनांक 07.01.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि शैक्षिक सत्र 2025–26 से विद्यालयों में नवप्रवेश हेतु बालकों की आयु की गणना 31 जुलाई को आधार तिथि मानते हुए की जानी है। इस तिथि तक 06 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालक समस्त राजकीय एवं गैर सरकारी विद्यालयों में नव प्रवेश हेतु पात्र होगें।

इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि आधार तिथि द्वारा आयु की गणना केवल नवप्रवेशी बालकों पर ही लागू होगी। पहले से ही बालवाटिका/बालवाडी/आंगनबाडी प्री–प्राइमरी आदि कक्षाओं में अध्ययनरत बालकों एवं टी.सी. के आधार पर प्रवेश के लिए आने वाले बालकों पर आयु गणना की उक्त तिथि प्रभावी नहीं होगी अर्थात पूर्व में अध्ययनरत बालकों के कक्षा–1 में होने वाले प्रवेश हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।

(सीताराम जाट)
I.A.S
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Document certified by SITA RAM JAT <CATOPIJ599@REGAPTS.COM>.
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :29-01-2025 07:07:02

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय का पता–कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, लालगढ़, बीकानेर
दूरभाषः–0151 2220140 ई–मेलः–ddrtebknr@gmail.com

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18878/आरटीई दिशा–निर्देश/2025–26/ दिनांक–27.03.2025

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2025–26 हेतु निःशुल्क प्रवेश के संबंध में

<u>सार्वजनिक सूचना (संशोधित आरटीई दिशा–निर्देश 2025–26)</u>

इस कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18878/आरटीई दिशा–निर्देश/2025–26 दिनांक 21.03.2025 शैक्षिक सत्र 2025–26 में निःशुल्क प्रवेश हेतु जारी दिशा–निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए जन्म दिनांक की गणना हेतु आधार तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

''1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 के मध्य न्यूनतम व अधिकतम आयु पूर्ण करने वाली सभी बालक–बालिकाएं आवेदन के लिए पात्र होगें।''

शेष दिशा निर्देश यथावत रहेंगे जो पीएसपी पोर्टल www.rajpsp.nic.in एवं विभागीय वेबसाईट education.rajasthan.gov.in/elementary पर उपलब्ध हैं।

(आशीष मोदी)
I.A.S.
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :27-03-2025 06:17:10

RajKaj Ref No.: 14446470

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/गुण. एवं प्रशि. अनु./गुणवत्ता विविध/2025–26/पार्ट–14 दिनांक : यथा हस्ताक्षर

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।

विषय– समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव अभियान के अंतर्गत नामांकन अभिवृद्वि, अनामांकित एवं ड्रापआउट बालक–बालिकाओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने तथा विद्यालयी शिक्षा से पुनः जोडने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांकः 29.03.2025 को राजस्थान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला में कोटा में आयोजित हुए कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया है। उक्त मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की एक पहल के रुप में <u>प्रवेशोत्सव कार्यक्रम</u> के अन्तर्गत शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं को सर्वे द्वारा चिन्हित करने के लिए <u>डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप</u> शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के समस्त बालक–बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में शत् प्रतिशत ठहराव भी सुनिश्चित करना भी विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समस्त अधिकारीगणों तथा कार्मिकों के सम्मिलित प्रयास अतिआवश्यक है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि–

1. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के विस्तृत दिशा–निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ कार्मिकों/शिक्षकों को निर्देशित कर नामांकन वृद्वि, अनामांकित एवं ड्रापआउट बालक–बालिकाओं, प्रवासी श्रमिको के बच्चों एवं बाल–श्रम से मुक्त कराये गए बालक–बालिकाओ, विद्यालय से जोडने एवं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउसहोल्ड सर्वे करवाया जाना है। **<u>सत्र 2025–26 के लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम दिनांकः 15.04.2025 से प्रारंभ किया जाना है।</u>**
2. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का तिथिवार विवरण निम्नांकित है

प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण			
क्र.स.	कार्य प्रक्रिया		दिनांक
1.	हाउस होल्ड सर्वे/बच्चों का चिन्हिकरण	–	15 अप्रेल से 09 मई 2025
2.	नामांकन अभियान (CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि)	–	10 मई से 16 मई 2025
प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण			
3.	शेष रहे बच्चों के चिन्हिकरण हेतु पुनः हाउस होल्ड सर्वे	–	1 जुलाई से 24 जुलाई 2025
4.	नामांकन अभियान (CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि)	–	25 जुलाई से 18 अगस्त 2025

Note:–

1. PEEO द्वारा स्थानीय परीक्षा एवं विद्यालयों के कार्य में आवश्यकता के अनुरूप जो शिक्षक इसमें नहीं लगाए गए है, उन दिवसों को प्रथम चरण हेतु शिक्षकों को भेजा जावें।
2. जिन शिक्षकों का सर्वे कार्य पहले चरण में पूरा न हो, वे दूसरे चरण में सर्वे कार्य पूरा करे ।

3. प्रवेश महोत्सव का आयोजनः–

- नव प्रवेशित विद्यार्थियों के उत्साहवर्द्धन एवं उ[illegible]लय में स्वागत के लिए वर्तमान सत्र में <u>दिनांक 08.05.2025 से 10.05.2025 तक **प्रवेश महोत्सव** का आयोजन</u> किया जाना है।

- इस हेतु नवप्रवेशित विद्यार्थियो के अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर विद्यालय की प्रवेश समिति के साथ परिचित करवाकर प्रवेश प्रक्रिया को भी पूर्ण किया जाये।
- इस दौरान नवप्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत सत्कार किया जाये। सत्कार विद्यालय की परिस्थितियों के अनुरूप तिलक लगाकर, माला पहनाकर किया जा सकता है।

4. <u>अनामांकित एवं ड्रापआउट बालक–बालिकाओं का चिन्हिकरण:</u>

- राज्य के समस्त बालक–बालिकाएं जिनकी आयु आंगनवाडी/विद्यालय जाने के योग्य हैं, का चिन्हिकरण उनका आयु अनुरूप आंगनवाडी/कक्षा में प्रवेश कर विद्यालयी शिक्षा से जोडा जाए। इस हेतु 15 अप्रेल 2025 से संस्थाप्रधान द्वारा शिक्षकों को विद्यालय परिक्षेत्र में घर–घर भेजकर हाउसहोल्ड सर्वे करवाया जाना है।
- हाउस होल्ड सर्वेकर्ता शिक्षक सर्वे के समय अपने साथ विद्यालय की विविध उपलब्धियां यथा– बोर्ड परीक्षा परिणाम, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं एवं पूर्व विद्यार्थियों की उपलब्धियों के पेम्पलेट्स इत्यादि साथ लेकर जायेंगे।
- जन्म पंजिकाओं में पंजीकृत विद्यालय जाने के योग्य समस्त बालक–बालिकाओं की पहचान कर विद्यालयों/आंगनबाड़ियों में प्रवेश सुनिश्चित किया जाये।
- **विद्यालय में समन्वित आंगनबाड़ी, विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित आंगनबाड़ी एवं परिक्षेत्र में संचालित अन्य आंगनबाड़ी में अध्ययनरत् शत् प्रतिशत बालक–बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाये।**
- **इसके लिए पीईईओ द्वारा अधीनस्थ समस्त विद्यालयों के परिक्षेत्र में स्थित समस्त आंगनबाड़ी में अध्ययनरत इस सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश योग्य समस्त विद्यार्थियो की सूचना दिनांकः– 15.04.2025 से 24.04.2025 के मध्य आंगनबाड़ी से प्राप्त कर उन्हे अधीनस्थ निकटतम विद्यालय में अस्थायी रूप से प्रवेश देना सुनिश्चित किया जावें एवं अस्थायी प्रवेश के साथ हीं "अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र" भी जारी किया जाना है, जिसके क्रमांक का संधारण विद्यालय में आवश्यक रूप से किया जावें।**

- शिक्षा से वंचित इन चिन्हित बालक–बालिकाओं की प्रविष्टि प्रत्येक शिक्षक द्वारा **<u>शालादर्पण शिक्षक एप</u>** के माध्यम से की जानी है। इसके लिए गुगल प्ले स्टोर से "Shaladarpan Shikshak App" को एन्ड्राईड फोन पर डाउनलोड किया जाना है तथा स्टाफ शालादर्पण आईडी तथा पासवर्ड प्रविष्ठ कर लॉगइन करेंगे।

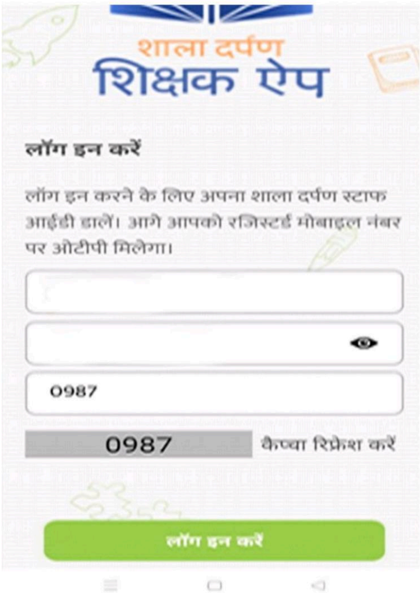

- शिक्षक प्रथम बार अपना पिन डालकर सबमिट करेंगे।
  - शालादर्पण शिक्षक एप में डिजिटल प्रवेशोत्सव का चयन कर गत वर्ष किये गए सर्वे में से किसी भी बालक–बालिका की स्थिति जानने के लिए "नामांकन स्थिति" पर क्लिक करें अन्यथा "D2D सर्वेक्षण 3 से 18 व "D2D सर्वेक्षण 18 से अधिक " हेतु उचित विकल्प का चयन करें | हाउसहोल्ड सर्वे के लिए निर्मित इस मोबाईल ऐप की चरणबद्ध प्रक्रिया स्क्रीनशॉट अग्रानुसार है–

1. **नामांकन स्थिति पर क्लिक करने पर** स्थिति

   - शिक्षकों द्वारा नामांकन स्थिति पर क्लिक करने पर गत वर्ष किये गये सर्वे की सूची प्रदर्शित होगी। विद्यार्थियों की स्थिति में अद्यतन करने के लिए औपचारिक, अनौपचारिक व अनामांकित को चयन कर सेव करेंगे।

2. **D2D सर्वेक्षण 3 से 18 का चयन करने पर** स्थिति

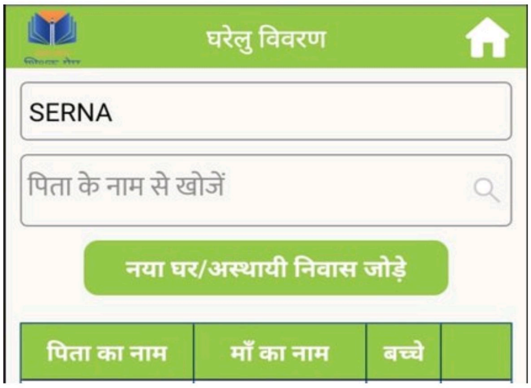

नया घर ६ अस्थायी निवास जोड़े पर क्लिक कर परिवार का विवरण भरें

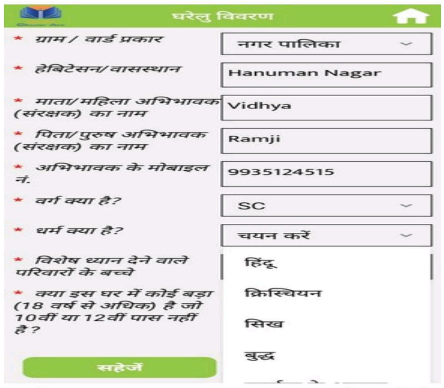

माता-पिता का नाम , वास स्थान व अन्य सम्बंधित प्रविष्टीयाँ करें

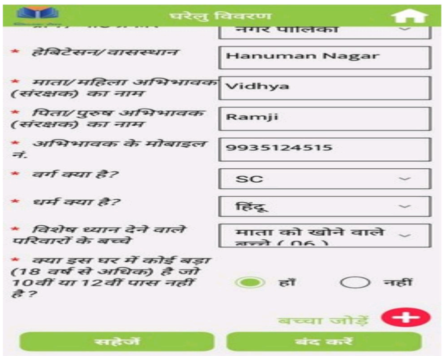

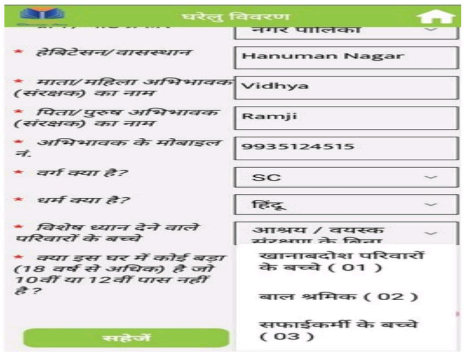

परिवार से सम्बंधित सभी प्रविष्टी करने के पश्चात “बच्चा जोड़े + “ पर क्लिक करें सहेजे

सर्वे में जोड़े जाने वाले बच्चे का विवरण भरे

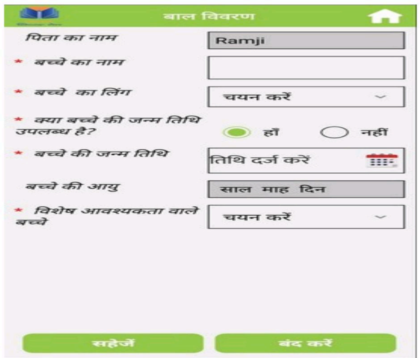

परिवार में अन्य बच्चे को जोड़ना है तो विकल्प का चयन कर Save करें

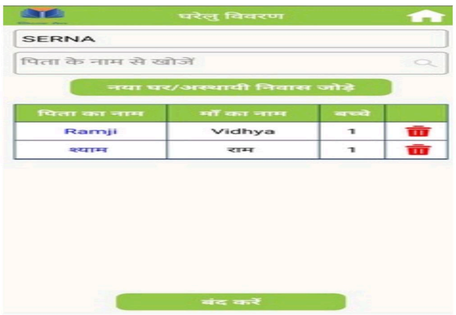

सर्वे के दौरान नए अपेक्षित नए जोड़े जाने वाले
बच्चों का विवरण देखा जा सकता है तथा यदि किसी भी सूचना का
अद्यतन किया जाना है तो पिता के नाम पर क्लिक कर सम्बंधित सूचना को अपडेट करे

3. **D2D सर्वेक्षण 3 से 18 का चयन करने पर** स्थिति

18 वर्ष से अधिक (व्यस्क) को जोडने के लिए पिता का नाम पर क्लिक करें तथा वयस्क से संबंधित सभी सुचनाएं प्रविष्ट करें।

<u>सर्वे पूर्ण, डेटा सिंक तथा रिपोर्ट डाउनलोड करना:–</u>

- सर्वे पूर्ण होने पर "बंद करें " पर क्लिक कर "हाँ " या "नहीं" पर क्लिक करें ।

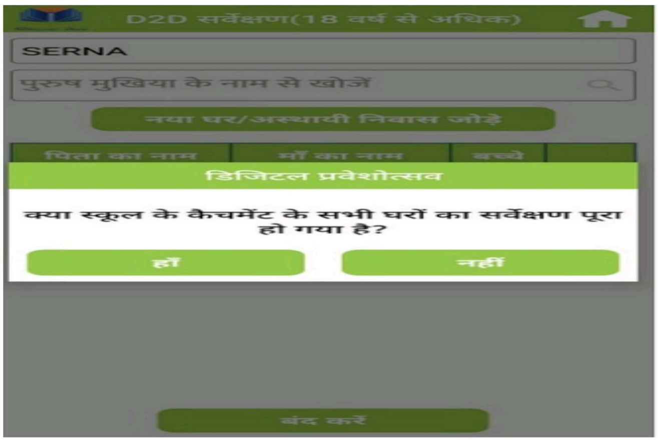

- दैनिक सर्वे यदि पूर्ण नहीं हुआ है तो नहीं पर क्लिक कर अगले दिन पुनः सर्वे करें तथा सर्वे पूर्ण होने पर "हाँ" पर क्लिक करें।
  नोटः–एक बार डेटा सिंक हो जाने पर दुबारा सर्वे करना संभव नहीं होगा।
- सर्वे के दौरान दैनिक सर्वेक्षण अथवा पूर्ण सर्वेक्षण होने पर "डेटा सिंक" कर देवें। इसके पश्चात बालक–बालिकाओं की सर्वेक्षण सूचना में किसी प्रकार का कोई संशोधन संभव नहीं है।

- प्रवेशोत्सव का सर्वे पूर्ण होने पर प्रवेशोत्सव रिपोर्ट निम्नांकित फोर्मेट में उपलब्ध रहेगी:–

RajKaj Ref No.: 14732143

रिपोर्ट

फॉर्म का नाम	कुल	अपलोड	लंबित
हाउसहोल्ड(3 से 18 वर्ष)	2	0	2
बच्चे	2	1	1
हाउसहोल्ड(18 वर्ष से अधिक)	3	0	3
वयस्क	1	1	0
नामांकन स्थिति	8	0	0

बंद करें

<u>शिक्षा से वंचित बालक—बालिकाओं का प्रवेश एवं इसकी CRC मॉडयूल में प्रविष्टि</u>

- इस हाउसहोल्ड सर्वे एवं डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप प्रविष्टि के उपरांत 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक—बालिकाओं की पहचान की जाकर नव—प्रवेशित, ड्रापआउट इत्यादि बालक—बालिकाओं का पृथक—पृथक रिकार्ड संधारित जाए तथा उनका नियमानुसार निर्धारित कक्षा में निकटतम विद्यालय/आंगनवाडी में कार्ययोजना बनाकर आयु अनुरूप प्रवेश करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- हाउसहोल्ड सर्वे के उपरांत चिन्हित बालक—बालिकाओं एवं विद्यालय मे पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओ, गतिविधियों, लाभकारी कार्यक्रमों का प्रचार—प्रसार करते हुए अधिकाधिक नामांकन करवाना है। उन्हें विद्यालय से जोडकर इसकी डेटा प्रविष्टि शालादर्पण के पीईईओ रोल चयन कर CRC मॉड्यूल पर निर्धारित अवधि तक संस्थाप्रधान द्वारा करवायी जानी है।

- इसके लिए सबसे पहले शालादर्पण स्कूल लॉगइन पर पीईईओ रोल का चयन कर, कार्यालय टैब पर जाएं। कार्यालय टैब में प्रदर्शित पीईईओ टैब के अंतर्गत PEEO/CRC (OOSC) का चयन करें।

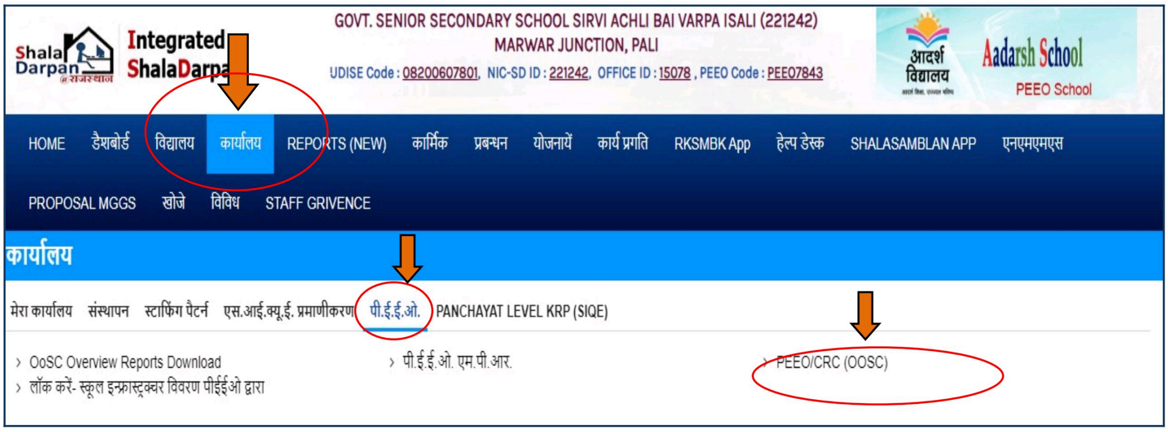

- PEEO/CRC (OOSC) का चयन करने पर चिन्हित एवं गत वर्ष के बकाया अनामांकित/ड्रॉपआउट शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की सूची प्रदर्शित होगी। जिसमें मुख्य धारा से जोडे विकल्प दिखाई देगा।

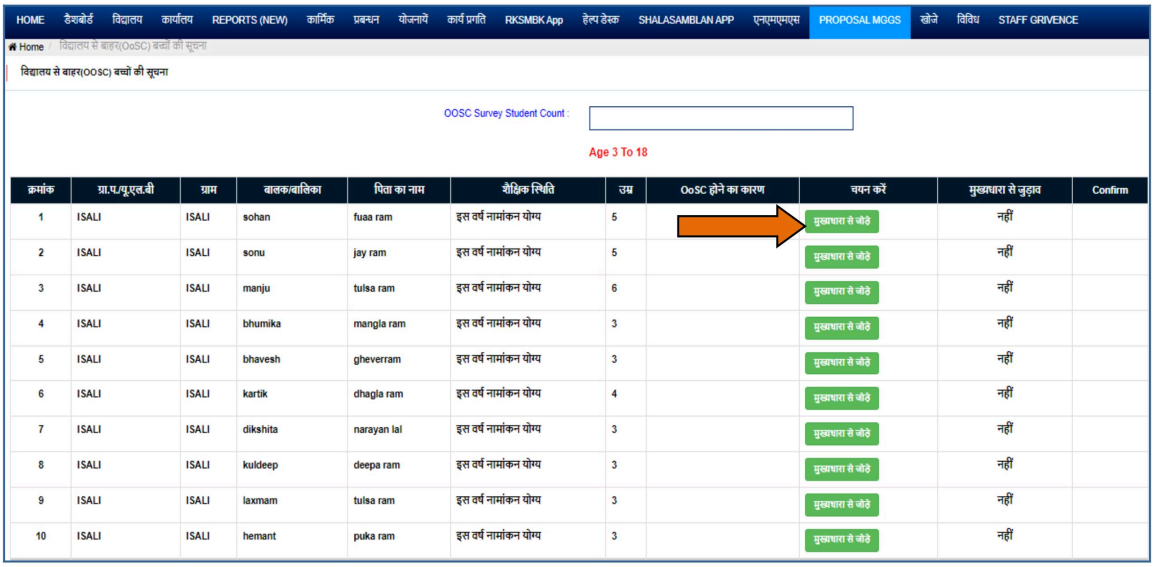

क्रमांक	ग्रा.प./यू.एल.बी	ग्राम	बालक/बालिका	पिता का नाम	शैक्षिक स्थिति	उम्र	OoSC होने का कारण	चयन करें	मुख्यधारा से जुड़ाव	Confirm
1	ISALI	ISALI	sohan	fuaa ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	5		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
2	ISALI	ISALI	sonu	jay ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	5		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
3	ISALI	ISALI	manju	tulsa ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	6		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
4	ISALI	ISALI	bhumika	mangla ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	3		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
5	ISALI	ISALI	bhavesh	gheverram	इस वर्ष नामांकन योग्य	3		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
6	ISALI	ISALI	kartik	dhagla ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	4		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
7	ISALI	ISALI	dikshita	narayan lal	इस वर्ष नामांकन योग्य	3		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
8	ISALI	ISALI	kuldeep	deepa ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	3		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
9	ISALI	ISALI	laxmam	tulsa ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	3		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	
10	ISALI	ISALI	hemant	puka ram	इस वर्ष नामांकन योग्य	3		मुख्यधारा से जोड़े	नहीं	

- इस मुख्य धारा से जोड़े विकल्प पर क्लिक करने पर विद्यार्थी की प्रवेश से संबंधित कुछ जानकारियां भरने का विकल्प प्रदर्शित होगा। जिसे सेव करने से विद्यार्थी मुख्य धारा प्रविष्ट किया जा सकेगा।

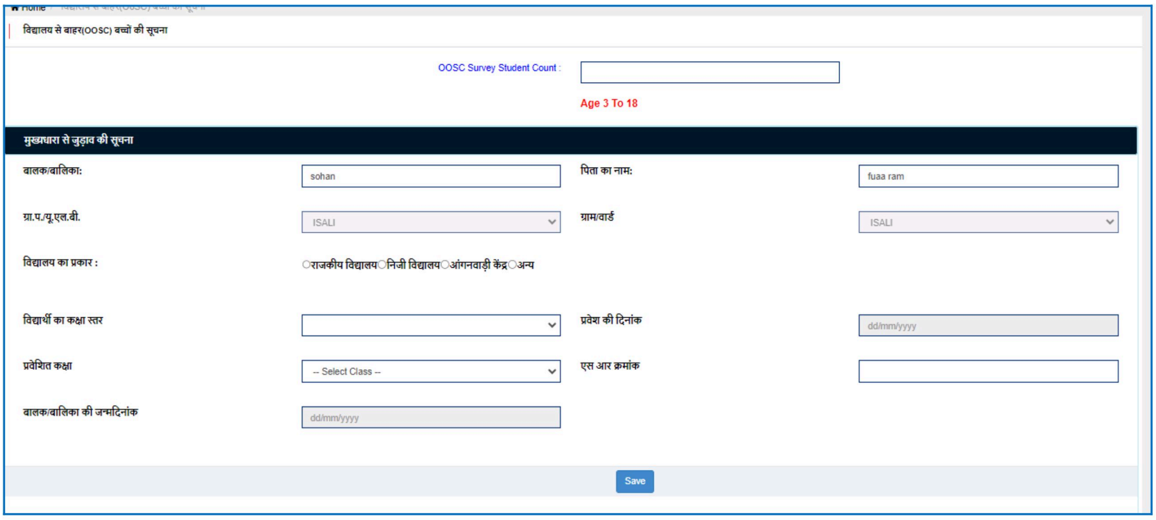

- 16 से 19 आयु वर्ग के चिन्हित होने वाले शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओ एवं निरक्षर व्यक्तियों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की विद्यालयी शिक्षा पूर्ण

करवाने हेतु परिस्थिति अनुरूप विद्यालय/स्टेट ओपन स्कूल/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि इनकी विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करवायी जा सके।

प्रवेशोत्सव एवं हाउस होल्ड सर्वे की साप्ताहिक मॉनिटरिंगः

प्रवेशोत्सव अभियान दिशा-निर्देश में प्रत्येक स्तर के लिए कार्य निर्धारित किये गये हैं। इसी क्रम में प्रवेशोत्सव एवं हाउस होल्ड सर्वे की साप्ताहिक मॉनिटरिंग करने हेतु करणीय कार्य अग्रानुसार रहेंगें:-

- शिक्षकों द्वारा हाउसहोल्ड सर्वे के लिए निर्मित डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर अनामांकित एवं ड्रापआउट बालक-बालिकाओं, प्रवासी श्रमिको के बच्चों एवं बाल-श्रम से मुक्त कराये गए बालक-बालिकाओ की प्रविष्टि की जानी है।
- **प्रवेशोत्सव के दौरान समस्त आंगनबाडियों से सूचना प्राप्त कर पंजीकृत बच्चों की सूचना पोर्टल मे अनिवार्यतः फीड किया जाना सुनिश्चित करावें।**
- सभी विद्यालयों में घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त जातियों के बालक-बालिकाओं के विद्यालय में प्रवेश के लिये प्रवेशोत्सव के अंतर्गत विशेष प्रयास कर इनका अधिकाधिक नामांकन सुनिश्चित किया जाना है। अतः सीडीईओ अपने परिक्षेत्र में घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त जातियों के विद्यार्थियों की संख्या के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिशिचित करें।
- प्रवेशोत्सव के दौरान शिक्षकों द्वारा करवाये जाने वाले हाउसहोल्ड सर्वे से पूर्व शिक्षकों का उस परिक्षेत्र के बी.एल.ओ से जानकारी लेकर, सामंजस्य स्थापित करवाकर प्रवेशोत्सव की कार्यवाही करवायी जावें।
- प्रत्येक विद्यालय द्वारा शिक्षकों द्वारा किये गये हाउस होल्ड सर्वे के पश्चात् विद्यार्थी प्रवेश की प्रविष्टियां प्रतिदिवस शालादर्पण के CRC मॉड्यूल पर अद्यतन की जानी है।
- प्रत्येक शनिवार दोपहर 01:00 बजे तक पीईईओ/यूसीईईओ अपने क्षेत्राधीन समस्त विद्यालयों से साप्ताहिक रूप से अनामांकित एवं ड्रापआउट बालक/बालिकाओं के पहचान एवं उनके विद्यालय में प्रवेशित होने की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे तथा विद्यालय छोड़ने से पूर्व संबंधित सीबीईओ को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।
- प्रत्येक शनिवार सायं 05:00 बजे तक प्रत्येक सीबीईओ अपने क्षेत्राधीन समस्त पीईईओ/यूसीईईओ से प्राप्त रिपोर्ट्स का संकलन एवं संधारण कर अपने CDEO को प्रेषित करेंगे। जिन विद्यालयों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाई उनसे भी रिपोर्ट प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक सोमवारः सायं 05:00 बजे तक समस्त CDEO अपने क्षेत्राधीन समस्त CBEO से प्राप्त रिपोर्ट्स का संकलन एवं संधारण करेगें तथा एक पृष्ठीय संख्यात्मक समेकित रिपोर्ट संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) एवं निदेशालय को वांछित स्थिति में प्रेषित करेंगे।
- प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान निरीक्षण की विशेष आवश्यकता वाली पंचायतों/विद्यालयों की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, इन पंचायतों/विद्यालयों में प्रवेशोत्सव की दैनिक प्रगति की समीक्षा प्रति दिवस सीबीईओ द्वारा की जायेगी।

नोटः— विभाग द्वारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के संदर्भ में दिनांकः—16 तथा 17 अप्रैल, 2025 को कार्यक्रम ऑनलाईन आमुखीकरण भी किया जायेगा। जिसका लिंक पृथक से प्रेषित कर दिया जायेगा।

प्रवेशोत्सव अभियान के विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार फील्ड की वास्तविक एवं सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर यह सुनिश्चित करें कि आंगनवाडी अथवा विद्यालय जाने योग्य आयु वाला एक भी विद्यार्थी विद्यालयी शिक्षा से वंचित न रहे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
(वरिष्ठ) समग्र शिक्षा अभियान (SMSA)

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ।
7. निजी सचिव, आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार ।
8. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ।
9. निजी सचिव, निदेशक प्रारं./मा. शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी शिक्षा संकुल, जयपुर को माडयूल व एप में वांछित अद्यतन करवाने हेतु।
11. निजी सचिव, सचिव राज० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ।
12. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ।
13. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
14. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ।
15. निजी सचिव, जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, निदेशालय साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
16. निजी सहायक, निदेशक संस्कृत शिक्षा निदेशालय शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर ।
17. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
18. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (II), समग्र शिक्षा, जयपुर ।
19. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
20. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान ।
21. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समितियाँ (समस्त ब्लॉक) राजस्थान ।
22. उपनिदेशक शालादर्पण जयपुर को शालादर्पण के CRC मॉड्यूल पर विद्यार्थी प्रवेश की मॉनिटरिंग व एनआईसी से समन्वय कर वांछित अद्यतन करवाने हेतु।
23. समस्त संस्थाप्रधान।
24. रक्षित प्रति ।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
(वरिष्ठ) समग्र शिक्षा अभियान (SMSA)

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

प्रमाण पत्र क्रमांक : ___________

कक्षा 1 में इस वर्ष प्रवेश योग्य विद्यार्थी के लिए

अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ______________________________

पुत्र/पुत्री : ________________________को दिनांक _______________________ को

____________________________________ विद्यालय _______ ब्लॉक _______________________

एन.आई.सी. कोड में अस्थायी रूप से प्रवेश दिया गया है।

विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दिनांक _______________________ तक विद्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। प्रवेश की अंतिम पुष्टि, आवश्यक दस्तावेज़ों के सत्यापन तथा सभी निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ति के पश्चात ही की जाएगी। यह प्रमाण पत्र केवल अस्थायी प्रवेश के उद्देश्य से जारी किया गया है।

नाम: सर्वे करता शिक्षक | **हस्ताक्षर - सर्वे करता शिक्षक**